

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या
106/2020

तारीख रजू
31.8.2020

तारीख फैसला
23.6.2025

भरत लाल पुत्र मडू, जाति मीना, निवासी भावड़, तहसील बरनाला,
जिला सवाई माधोपुर,

वादी

बनाम

1. रामकेश पुत्र स्व. देवपाल,
2. सियाराम पुत्र स्व. देवपाल,
3. हरकेश पुत्र स्व. देवपाल,
4. नाहरसिंह पुत्र स्व. देवपाल,
5. पदम सिंह पुत्र स्व. देवपाल,
6. चतरी पत्नी स्व. देवपाल,
7. जगन पुत्र कालू,
8. बृजमोहन पुत्र कालू,
9. हरीमोहन पुत्र कालू,
10. साबूती पत्नी कालू,
11. जगमोहन पुत्र अणच्या,
12. प्रकाश पुत्र अणच्या
13. मन्तू पुत्र अणच्या,
14. रमेश पुत्र अणच्या,
15. राकेश पुत्र अणच्या,
16. भूली पत्नी अणच्या,
17. जीतराम दत्तक पुत्र मोती,
18. रामेश्वर पुत्र रामधन,
19. धन्नी देवी पत्नी रामधन,
20. मूली पत्नी चिरंजी,
21. राजन्ती पत्नी रमेश चंद, जाति मीना, निवासी मांदलगांव

सभी जाति मीना, निवासी
नवाड़िया मीना, तहसील
बरनाला, जिला सवाई
माधोपुर

जिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)

22. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बरनाला,

23. हंसराज पुत्र श्रीफूल, जाति मीना, निवासी नवाड़िया मीना,
तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्याई निषेधाज्ञा

निर्णय

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 504 रकवा 1.20 हैक्टेयर, 505 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 506 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 507 रकवा 0.63 हैक्टेयर, 508 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 509 रकवा 0.65 हैक्टेयर, 510 रकवा 0.71 हैक्टेयर, 511 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 512 रकवा 0.39 हैक्टेयर, 513 रकवा 0.14 हैक्टेयर,, 514 रकवा 0.63, 515 रकवा 0.31 हैक्टेयर, 516 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 517 रकवा 0.17 हैक्टेयर, 518 रकवा 0.16 हैक्टेयर, 519 रकवा 0.51 हैक्टेयर, 739 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 740 रकवा 0.12 हैक्टेयर, 741 रकवा 0.10 हैक्टेयर, 742 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 743 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 748 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 856 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 857 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 859 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 860 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 861 रकवा 0.22 हैक्टेयर, 862 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 863 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 764 रकवा 0.84 हैक्टेयर, 866 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 903 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 904 रकवा 0.33 हैक्टेयर (कुल किता 33 कुल रकवा 9.89 हैक्टेयर) स्थित ग्राम नवाड़िया मीना, तहसील बरनाला में वादी व


जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात् है, जिनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वे ही काशत करते व सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त आराजियात् में वादी का 4/315 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि वादी ने प्रकाश व रमेश से सन् 2015 में कय की थी। तभी से उक्त भूमि को वादी काशत करता चला आ रहा है। वादी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 23 का भी वादग्रस्त आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 23 ने बदयांतिपूर्वक वादी के हिस्से की आराजी पर अनाधिकृत कब्जा करने के आशय से अन्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 के साथ मिलकर एक नाजायज गिरोह बना रखा है। उनसे मिलकर वह आये दिन वादी को उसके हिस्से के उपयोग, उपभोग में व्यवधान पैदा करता रहता है। आगे कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात को वादी द्वारा पूर्व खातेदार प्रकाश व रमेश से कय करने से पूर्व से ही प्रकाश, रमेश व अन्य सह खातेदारान के मध्य बाह्मी तौर पर विभाजन किया हुआ था, पूर्व में हुए बाह्मी विभाजन के अनुसार संपूर्ण आराजियात् में से प्रकाश व रमेश के कुल हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 864 रकवा 0.84 हैक्टेयर की पैमाइश के समान वह हिस्सा आया, जो कि वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित है, प्रकाश व रमेश ने उक्त संपूर्ण आराजियात् में से अपना हिस्सा 4/315 वादी को विक्रय कर दिया, तदनुसार ही वादी प्रकाश व रमेश के हिस्से पर, जैसा कि वाद पत्र

5
 जिला कलक्टर
 भागलपुर (सं० ३३०)

के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया हुआ है, काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रकाश व रमेश के हिस्से को वादी द्वारा क़य कर लिए जाने के कारण अब प्रतिवादीगण वादी से बैमनट्यता रखने लगे हैं तथा इसी रंजिश के चलते प्रतिवादीगण वादी को उसके द्वारा क़य किए गए भूभाग के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में, वहाँ कृषि कार्य करने, जोतने, बोन, फसल काटने आदि तथा अपने हिस्से की पुख्ता मेड़बंदी करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। जब दिनांक 19.8.2020 को वादी अपनी हिस्से की उक्त आराजी पर फसल की देखमाल कर रहा था तथा जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ अपनी आराजी की पुख्ता मेड़बंदी कर रहा था कि सभी प्रतिवादीगण मौके पर आकर वादी से झगड़ा फिसाद करने को आमादा हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा वादी से इस प्रकार विवाद करने पर वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का विभाजन कराकर खाते अलग अलग कायम कराने व सरकारी लगान का निर्धारण कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से साफ साफ इन्कार कर दिया है।

..... आदि कथन करते हुए वाद पत्र में वर्णित अनुतोष के अनुसार


उपजला कलियुक्त
बावनकास (सं०मा०)

प्रतिवादीगण को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए लेकिन बावजूद तामील उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ

और न ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया, इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद पत्र बाबत विभाजन का होने के कारण प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम मंगवाई गई, जिस पर तहसीलदार बरनाला द्वारा विभाजन स्कीम मय नजरी नक्शा पेश की गई ।


वादी की ओर से बहस एक पक्षीय अंतिम रूप से सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादी द्वारा तहसीलदार बरनाला की ओर से प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं की गई तथा बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया ।

हमारे द्वारा बहस सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व वकील वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 का उपरोक्त वर्णित आराजियात् में सहखातेदार होना स्पष्ट है, तहसीलदार बरनाला द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम पर किसी भी पक्ष की कोई आपत्ती नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब आदि भी पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र या उसके कथनों का खण्डन नहीं किया गया है, ऐसे में वादी का वाद पत्र विभाजन स्कीम के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अपजला कलक्टर
बनारस (सु०म०)

वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम नवाड़िया मीना स्थित खाता संख्या नया 149 व पुराने 142 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 504 रकवा 1.20 हैक्टेयर, 505 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 506 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 507 रकवा 0.63 हैक्टेयर, 508 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 509 रकवा 0.65 हैक्टेयर, 510 रकवा 0.71 हैक्टेयर, 511 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 512 रकवा 0.39 हैक्टेयर, 513 रकवा 0.14 हैक्टेयर,, 514 रकवा 0.63, 515 रकवा 0.31 हैक्टेयर, 516 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 517 रकवा 0.17 हैक्टेयर, 518 रकवा 0.16 हैक्टेयर, 519 रकवा 0.51 हैक्टेयर, 739 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 740 रकवा 0.12 हैक्टेयर, 741 रकवा 0.10 हैक्टेयर, 742 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 743 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 748 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 856 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 857 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 859 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 860 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 861 रकवा 0.22 हैक्टेयर, 862 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 863 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 764 रकवा 0.84 हैक्टेयर, 866 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 903 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 904 रकवा 0.33 हैक्टेयर (कुल किता 33 कुल रकवा 9.89 हैक्टेयर) स्थित ग्राम नवाड़िया मीना, तहसील बामनवास (सोमनाला का विभाजन किया जाकर खसरा नम्बर 864/1 रकवा 0.1255 हेक्टेयर (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित हरे रंग के अनुसार) का वादी को खातेदार काश्तकार


 उपजिला कलेक्टर
 बामनवास (सोमनाला)

घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 504 रकवा 1.20 हैक्टेयर, 505 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 506 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 507 रकवा 0.63 हैक्टेयर, 508 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 509 रकवा 0.65 हैक्टेयर, 510 रकवा 0.71 हैक्टेयर, 511 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 512 रकवा 0.39 हैक्टेयर, 513 रकवा 0.14 हैक्टेयर,, 514 रकवा 0.63, 515 रकवा 0.31 हैक्टेयर, 516 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 517 रकवा 0.17 हैक्टेयर, 518 रकवा 0.16 हैक्टेयर, 519 रकवा 0.51 हैक्टेयर, 739 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 740 रकवा 0.12 हैक्टेयर, 741 रकवा 0.10 हैक्टेयर, 742 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 743 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 748 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 856 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 857 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 859 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 860 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 861 रकवा 0.22 हैक्टेयर, 862 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 863 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 864/2 रकवा 0.7145 हैक्टेयर, 866 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 903 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 904 रकवा 0.33 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 में से चतरी देवी पत्नी देवपाल का हिस्सा 449/13230, जगमोहन पुत्र अण्च्या का हिस्सा 193/6615, जगन पुत्र कालू का हिस्सा 1339/26460, जीतराम दत्तक पुत्र मोती का हिस्सा 1335/6615, धन्नी देवी पत्नी रामघन का हिस्सा 1323/13230, पदम सिंह पुत्र देवपाल का हिस्सा 449/13230, प्रकाश पुत्र अण्च्या का हिस्सा 151/6615,

उपजिला कलक्टर
बामनक्स (स०म०)

बृजमोहन पुत्र कालू का हिस्सा 1339/26460, मूली पत्नी अण्ण्या का हिस्सा 193/6615, मन्नु पुत्र अण्ण्या का हिस्सा 2159/132300, मूली पत्नी चिरंजी का हिस्सा 193/6615, रमेश पुत्र अण्ण्या का हिस्सा 151/6615, राकेश पुत्र अण्ण्या का हिस्सा 193/6615, राजन्ती पत्नी रमेश चंद का हिस्सा 1781/132300, रामकेश पुत्र देवपाल का हिस्सा 449/13230, रामेश्वर पुत्र रामधन का हिस्सा 1323/13230, साबूती पत्नी कालू का हिस्सा 1339/26460, सियाराम पुत्र देवपाल का हिस्सा 449/13230, हरकेश पुत्र देवपाल का हिस्सा 449/13230 एवं हरिमोहन पुत्र कालू को हिस्से 1339/26460 के स्यातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात् किए जावें।

तहसीलदार बरनाला द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम व उसके साथ प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा डिकी के भाग रहेंगे, डिकी तदनुसार तैयार की जावे।

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 23.6.2025 को लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)
बामनवास

उपजिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास


पीठासीन अधिकारी: सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

भरत लाल पुत्र मझू, जाति मीना, निवासी भावड़, तहसील
बरनाला, जिला सवाई माधोपुर, वादी

बनाम

1. रामकेश पुत्र स्व. देवपाल,
2. सियाराम पुत्र स्व. देवपाल,
3. हरकेश पुत्र स्व. देवपाल,
4. नाहरसिंह पुत्र स्व. देवपाल,
5. पदम सिंह पुत्र स्व. देवपाल,
6. चतरी पत्नी स्व. देवपाल,
7. जगन पुत्र कालू,
8. बृजमोहन पुत्र कालू,
9. हरीमोहन पुत्र कालू,
10. साबूती पत्नी कालू,
11. जगमोहन पुत्र अणच्या,
12. प्रकाश पुत्र अणच्या
13. मन्तू पुत्र अणच्या,
14. रमेश पुत्र अणच्या,
15. राकेश पुत्र अणच्या,
16. मूली पत्नी अणच्या,
17. जीतराम दत्तक पुत्र मोती,
18. रामेश्वर पुत्र रामधन,
19. धन्नी देवी पत्नी रामधन,
20. मूली पत्नी चिरंजी,

सभी जाति मीना,
निवासी नवाड़िया मीना,
तहसील बरनाला, जिला
सवाई माधोपुर



जिला कलेक्टर
बामनवास (सोमा)

21. राजन्ती पत्नी रमेश चंद, जाति मीना, निवासी मांदलगांव
 22. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बरनाला,
 23. हंसराज पुत्र श्रीफूल, जाति मीना, निवासी नवाड़िया मीना,
 तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 106/2020


वादी की ओर से उसके अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकांत शर्मा उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आज दिनांक 23/6/2025 को मुझ पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम नवाड़िया मीना स्थित खाता संख्या नया 149 व पुराने 142 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 504 रकवा 1.20 हैक्टेयर, 505 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 506 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 507 रकवा 0.63 हैक्टेयर, 508 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 509 रकवा 0.65 हैक्टेयर, 510 रकवा 0.71 हैक्टेयर, 511 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 512 रकवा 0.39 हैक्टेयर, 513 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 514 रकवा 0.63, 515 रकवा 0.31 हैक्टेयर, 516 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 517 रकवा 0.17 हैक्टेयर, 518 रकवा 0.16 हैक्टेयर, 519 रकवा 0.51 हैक्टेयर, 739 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 740 रकवा 0.12 हैक्टेयर, 741 रकवा 0.10 हैक्टेयर, 742 रकवा


 जिला कलेक्टर
 मिनवास (सोमा)

0.24 हैक्टेयर, 743 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 748 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 856 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 857 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 859 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 860 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 861 रकवा 0.22 हैक्टेयर, 862 रकवा 0.14 हैक्टेयर, 863 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 764 रकवा 0.84 हैक्टेयर, 866 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 903 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 904 रकवा 0.33 हैक्टेयर (कुल किता 33 कुल रकवा 9.89 हैक्टेयर) स्थित ग्राम नवाड़िया मीना, तहसील बरनाला का विभाजन किया जाकर खसरा नम्बर 864/1 रकवा 0.1255 हैक्टेयर (विभाजन स्कीम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित हरे रंग के अनुसार) का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 504 रकवा 1.20 हैक्टेयर, 505 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 506 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 507 रकवा 0.63 हैक्टेयर, 508 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 509 रकवा 0.65 हैक्टेयर, 510 रकवा 0.71 हैक्टेयर, 511 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 512 रकवा 0.39 हैक्टेयर, 513 रकवा 0.14 हैक्टेयर,, 514 रकवा 0.63, 515 रकवा 0.31 हैक्टेयर, 516 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 517 रकवा 0.17 हैक्टेयर, 518 रकवा 0.16 हैक्टेयर, 519 रकवा 0.51 हैक्टेयर, 739 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 740 रकवा 0.12 हैक्टेयर, 741 रकवा 0.10 हैक्टेयर, 742 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 743 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 748 रकवा 0.46 हैक्टेयर, 856 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 857 रकवा 0.05 हैक्टेयर, 859 रकवा



 जिला कलेक्टर
 नकासा (सं.मा.०)

0.07 हैक्टैयर, 860 रकवा 0.24 हैक्टैयर, 861 रकवा 0.22 हैक्टैयर, 862 रकवा 0.14 हैक्टैयर, 863 रकवा 0.13 हैक्टैयर, 864/2 रकवा 0.7145 हैक्टैयर, 866 रकवा 0.13 हैक्टैयर, 903 रकवा 0.29 हैक्टैयर, 904 रकवा 0.33 हैक्टैयर का प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 में से चतरी देवी पत्नी देवपाल का हिस्सा 449/13230, जगमोहन पुत्र अणच्या का हिस्सा 193/6615, जगन पुत्र कालू का हिस्सा 1339/26460, जीतराम दत्तक पुत्र मोती का हिस्सा 1335/6615, धनी देवी पत्नी रामधन का हिस्सा 1323/13230, पदम सिंह पुत्र देवपाल का हिस्सा 449/13230, प्रकाश पुत्र अणच्या का हिस्सा 151/6615, बृजमोहन पुत्र कालू का हिस्सा 1339/26460, भूली पत्नी अणच्या का हिस्सा 193/6615, मन्नु पुत्र अणच्या का हिस्सा 2159/132300, मूली पत्नी चिरंजी का हिस्सा 193/6615, रमेश पुत्र अणच्या का हिस्सा 151/6615, राकेश पुत्र अणच्या का हिस्सा 193/6615, राजन्ती पत्नी रमेश चंद का हिस्सा 1781/132300, रामकेश पुत्र देवपाल का हिस्सा 449/13230, रामेश्वर पुत्र रामधन का हिस्सा 1323/13230, साबूती पत्नी कालू का हिस्सा 1339/26460, सियाराम पुत्र देवपाल का हिस्सा 449/13230, हरकेश पुत्र देवपाल का हिस्सा 449/13230 एवं हरिमोहन पुत्र कालू को हिस्से 1339/26460 के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात् किए जायें।


जिला कलेक्टर
नक्स (संभा) 0

तहसीलदार बरनाला द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम व उसके साथ प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा डिक्री के भाग रहेंगे,

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 23.6.2025 को जारी की गई ।


(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (सोमा)

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	